प्रेस नोट **11/01/2025**

जनशिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराये जाने के क्रम में आज दिनांक 11.01.2025 को जनपद के समस्त थानों पर समाधान/थाना दिवस का आयोजन किया गया। जनपद के समस्त थानों पर 96 प्राप्त प्रार्थना पत्रों में से कुल 17 प्रार्थना पत्रों का मौके पर निस्तारण कराया गया तथा राजस्व विभाग से सम्बन्धित प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु राजस्व टीम को आवश्यकतानुसार पुलिस बल उपलब्ध कराकर निस्तारण किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

02 शातिर गिरफ्तार, कब्जे से शराब बनाने के उपकरण व 120 लीटर कच्ची शराब बरामद–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 11.01.2025 को थाना मधुबन पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर बिन्टोलिया नई बस्ती के पास से 02 अभियुक्तगण तेजवन्त यादव उर्फ तेजन पुत्र हरिश्चन्द्र यादव निवासी सौदी मधुबन, लालबहादुर यादव पुत्र स्व0 रामकिशुन यादव निवासी सिसवा मधुबन जनपद मऊ के कब्जे से 120 लीटर कच्ची शराब, शराब बनाने वाले उपकरण एक अदद एल्यूमीनियम तसला, पाईप, 02 अदद लोहे का ड्रम, 02 किग्रा यूरिया, 03 किग्रा नौसादर, 02 किग्रा नमक, आधा किग्रा फिटकरी, 02 अदद गैस सिलेण्डर, 02 अदद चुल्हा व एक अदद मोटरसाइकिल एचएफ डिलक्स यूपी54एएफ5497 बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 13/25 धारा 272,273 भादवि व धारा 60(1)/63 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया। बरामद दो पहिया वाहन को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट सीज किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण–

1. तेजवन्त यादव उर्फ तेजन पुत्र हरिश्चन्द्र यादव निवासी सौदी मधुबन जनपद मऊ।
2. लालबहादुर यादव पुत्र स्व0 रामकिशुन यादव निवासी सिसवा मधुबन जनपद मऊ।

बरामदगी–

1. 120 लीटर कच्ची शराब।
2. शराब बनाने के उपकरण।
3. एक अदद मोटरसाइकिल एचएफ डिलक्स यूपी54एएफ5497।